Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding appointment on compassionate ground in Central Government Departments -laid.

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद): कर्मचारी मृतक आश्रित कल्याण समिति केन्द्रीय मृतक आश्रित परिवारों के उत्थान हेतु कार्यरत संस्था है। समिति के सभी आश्रित परिवारों के माता-पिता केन्द्रीय विभागों में कार्यरत थे, जिनकी सेवाकाल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है। केन्द्रीय विभागों में कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। सन् 1998 के पूर्व अनुकम्पा के आधार पर सभी आश्रितों को 100 प्रतिशत नौकरी दिए जाने का प्रावधान था किन्तु वर्ष 1998 में केवल केन्द्रीय विभागों में मृतक आश्रित के लिए 5 प्रतिशत का कोटा निर्धारित कर दिया गया, जिसके कारण से 100 में से केवल 5 मृतक आश्रितों को ही नौकरी मिल पा रही है तथा शेष 95 प्रतिशत आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा जरूरतमन्द न समझ कर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जिसके कारण से वर्तमान में पूरे केन्द्रीय विभागों में अब तक लगभग 12000-15000 मृतक आश्रितों की संख्या हो गई है जिनको एक बार दयानिधि के आधार पर One Time Relaxation नौकरी प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में समिति में ऐसे भी आश्रित सदस्य हैं, जिनके माता एवं पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई है, जिसके कारण से उनको पेंशन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे विषम स्थिति में 5 प्रतिशत कोटा के कारण आश्रित परिवारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से एक केन्द्र सरकार के मृतक कर्मचारी के परिवार को दयनीय दशा में जीवन-यापन करना पड़ रहा है।

अतः सरकार से विनम्र निवेदन है कि सम्पूर्ण भारत के केन्द्रीय विभागों में शेष बचे मृतक आश्रितों को One Time Relaxation लागू कर नौकरी प्रदान करने की कृपा करें।